

346
D.N. : 17/5/17

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 108/2017

नाथू ढिगा मंडल माली निवासी-जापरपुरा

- ① कृष्णा ढिगा राजू गुर्जर निवासी-भारजीका खेड़ा
- ② लालू ढिगा खाना माली निवासी-जापरपुरा
- ③ हीरा ढिगा पौखर माली निवासी-जापरपुरा सं. माण्डलगढ

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक-16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री ~~नाथू ढिगा मंडल माली निवासी-जापरपुरा~~ ने जरिये अभिभाषक श्री ~~सावर मल रेबारी~~ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ~~जापरपुरा प0ह0 माण्डलगढ~~ तह0 माण्डलगढ में आराजीन0

~~378/284 व 379/282 कुल रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा~~ कित्ता 2 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~जापरपुरा~~ की आराजी न0 ~~378/284 व 379/282~~ ढिगा

2 रकबा 4 बीघा 02 बिस्वा ~~जापरपुरा~~ की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 200 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार, माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

2
उपखण्ड अधिकारी

माण्डलगढ जिला-भीलवाडा